माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 599 / 12 / एके0 / MSU / 2024–25 दिनांक: 11.07.24

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,

समस्त सम्बद्ध विधि संस्थान / महाविद्यालय,

विषय– शैक्षिक सत्र 2024–25 में छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–539 / 10 / एके0 / MSU / 2024–25, दिनांक : 01.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा संस्थान को शैक्षिक सत्र 2024–25 में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु प्रदत्त अनुमति पत्र, महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट(Academic Bank of Credit) पोर्टल पर ABC/APAAR ID बनाये जाने का शपथ–पत्र, शिक्षकों का वेतन भुगतान, प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं AISHE प्रमाण–पत्र(2023–24) विश्वविद्यालय को दिनांक : 04.07.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश दिनांक : 06.07.2024 द्वारा यह निवेदन किया गया है कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष में सभी विधि महाविद्यालय से बी0सी0आई से अपना विस्तारण पत्र लेकर विश्वविद्यालय में जमा करेगें। एसोसिएशन की बी0सी0आई से मौखिक वार्ता हुई जिसमें बी0सी0आई का कहना है कि गत वर्ष के अनुमोदन के आधार पर महाविद्यालयों से शपथ–पत्र लेकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।

इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक : 10.07.2024 के अनुसार यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्बद्ध विधि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक : 01.07.2024 में मांगे गये अभिलेखों के साथ ही 100 / – रूपये के स्टाम्प पेपर पर सचिव एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से निम्नलिखित बिन्दुओं का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें :–

01. यह कि महाविद्यालय द्वारा बी0सी0आई0 में एल0एल0बी0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु .... सेक्शन कुल सीट संख्या–.............. तथा बी0ए0एल0एल0बी0 / बी0कॉम एल0एल0बी0 पांच वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु .... सेक्शन कुल सीट संख्या–.............. हेतु आवेदन कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न करें)
02. यह कि महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व बी0सी0आई0 द्वारा निर्गत अनुमति पत्र विश्वविद्यालय में जमा करा दिया जायेगा।
03. यदि महाविद्यालय बी0सी0आई0 से निर्गत अनुमति पत्र परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करने में असफल रहता है तो विश्वविद्यालय प्रवेशित छात्रों का अन्य महाविद्यालय में छात्रों हस्तांरित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
04. यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटें उपलब्ध नहीं रहती है और महाविद्यालय बी0सी0आई0 से अनुमति प्राप्त करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रवेशित छात्रों हेतु महाविद्यालय पोर्टल उत्तरदायी होगा।
05. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से निर्गत परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षायें कराने हेतु सहमत होगा तथा निर्गत शैक्षिक कैलेण्डर के अन्तर्गत पठन–पाठन पूर्ण करना सुनिश्चत करेगा।

अतः समस्त सम्बद्ध विधि महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र दिनांक : 01.07.2024 उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुये 100 / – रूपये के स्टाम्प पेपर पर सचिव एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर सहित शपथ–पत्र एवं समस्त वांछित अभिलेख दिनांक : 15.07.2024 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे महाविद्यालय का नाम प्रवेश हेतु प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सके।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. परीक्षा नियंत्रक।
02. उपकुलसचिव।
03. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव